अध्यक्ष–काउंसिलिंग समिति एवं संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

ऑनलाइन ऑफ–कैम्पस काउंसिलिंग कार्यक्रम, सत्र 2011–12

पीईपीटी–2011 के आधार पर बी.ई. (प्रथम चरण)

लॉक की गई च्वाईस में परिवर्तन करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के लिये अवसर (दिनांक 1 से 3 अगस्त, 2011 तक)

1. जिन अभ्यर्थियों ने अपनी च्वाईस लॉक कर दी है, यदि वह अपनी च्वाईस में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो उन्हें अधिकृत सहायता केन्द्र पर स्वयं उपस्थित होकर सहायता केन्द्र के नोडल अधिकारी को लिखित में कारण बताते हुए आवेदन प्रस्तुत करना होगा । नोडल अधिकारी आपके आवेदन से संतुष्ट होने पर आपको च्वाईस परिवर्तित करने हेतु अनुमति प्रदान करेगें । तत्पश्चात ही आप उस सहायता केन्द्र पर अपनी च्वाईस परिवर्तित कर लॉक कर सकेंगे।
2. उम्मीदवार समस्त मूल दस्तावेज लेकर निर्धारित सहायता केन्द्र पर उपस्थित होंगे।
3. च्वाईस परिवर्तन हेतु अधिकृत सहायता केन्द्र पर अभ्यर्थी रू. 1000/– (पोर्टल शुल्क रू 100/– सहित) अतिरिक्त शुल्क (नॉन रिफंडेबल) जमा कर सम्पादित कर सकेगें।
4. यह अवसर केवल एक बार के लिये उपलब्ध रहेगा।
5. उक्त सुविधा मात्र तीन दिनों दिनांक 1 से 3 अगस्त, 2011 (कार्यालयीन समय में) अधिकृत सहायता केन्द्रों (जोकि मध्यप्रदेश के समस्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय/महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/राज्य के स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं) पर ही उपलब्ध रहेगी।

शेष प्रक्रिया पूर्व में जारी काउंसलिंग प्रक्रिया अनुसार यथावत रहेगी। प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका अभ्यर्थी सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेवे ।

वेबसाईट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in

सम्पर्क फोन नं. 0755–4019025

अध्यक्ष–काउंसिलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश